हिमाचल प्रदेश सरकार

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

सड़क सुरक्षा
जीवन रक्षा

सड़क सुरक्षा शपथ

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेगें तथा सुरक्षित यात्रा हेतू सदैव :-

1. दो पहिया वाहन चलाते समय BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेगें व पीछे बैठें व्यक्ति को भी पहनाएगें।
2. चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएगें।
3. मोड़ों पर सावधानी से वाहन चलाएगें।
4. तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएगें।
5. गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएगें।
6. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे।
7. शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएगें।
8. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतू सदैव तत्पर रहेगें।
9. यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खुद वाहन सावधानी से चलाएगें व सड़क पर ओरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगें।

जय हिमाचल, जय भारत।

सुरक्षित प्रदेश

सुरक्षित सफर

हवा के झोंके से बुझी मोमबत्ती तो दोबारा जल जायेगी
पर सड़क पर जरा सी लापरवाही में गयी जान वापस नहीं आयेगी।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ
परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पट्टियों का प्रयोग करें

- दोपहिया वाहन में चालकों व पिछली सीट पर सवार लोगों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है।
- सुनिश्चित करें कि निर्धारित मानकों या विशेष रूप से आई एस आई मार्क वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें।
- दोपहिया वाहन चलाते समय सुनिश्चित करें कि हेलमेट सही ढंग से बांधा हो।
- दोपहिया वाहन केवल दो लोगों के लिए ही बना है। यदि दो से अधिक लोग दोपहिया वाहन पर सवारी करते हैं तो 1000 रूपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाईसेंस निलम्बित हो सकता है।
- हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में प्रदेश में दोपहिया वाहनों के हादसों की वजह से 324 लोगों की मृत्यु हुई है व 325 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 139 लोगों की मृत्यु हेलमेट का प्रयोग न करने की वजह से हुई है एवं पिछली सीट पर सवार व्यक्तियों द्वारा हेलमेट न पहनने की वजह से 73 लोगों की मृत्यु हुई है एवं 85 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
- दोपहिया वाहन खतरनाक तरीके से चलाने पर 1 वर्ष तक की जेल अथवा 1000 रूपये जुर्माना हो सकता है।
- बारिश व बर्फबारी के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। दोपहिया वाहन चालकों को ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी अपनानी चाहिए।
- दोपहिया वाहन चलाते समय कलाबाजी न करें। वाहन के हेंडल पर अपने दोनों हाथ रखें।

सड़क सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबासइट : roadsafety.hp.gov.in

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सुनिश्चित करें कि वाहन चलाने से पहले सीटबेल्ट लगाई हो

- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है ।
- सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- सीट बेल्ट का प्रयोग न करना आपके लिए घातक हो सकता है जिसके कारण गंभीर चोट, अपंगता अथवा मृत्यु तक हो सकती है।
- देशभर में प्रति वर्ष 2023 में 47 वाहन चालकों की मृत्यु सीट बेल्ट न लगाने के कारण हुई हैं एवं 92 लोग सीट बेल्ट न लगाने की वजह से गंभीर व आंशिक रूप से घायल हुए।

आओ ! सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ।

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.
फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

ओवरलोडिंग पर
जुर्माना
₹ 20,000/- प्रथम टन
इसके अतिरिक्त भार के लिए
₹ 2000/- प्रति टन

वाहन में ओवर लोडिंग
बहुत खतरनाक है। न करें ।

- हिमाचल में वर्ष 2023 में ओवरलोडिग वाहनो के 30 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 34 लोगों ने अपनी जानें गवाई व 86 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
- ओवरलोडिंग की वजह से डीजल की ज्यादा खपत होती है और गाड़ी के इंजन पर ज्यादा लोड आता है।
- ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों को क्षति पहुंचती है।
- ओवरलोडिड वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका अधिक होती है।
- ओवरलोडिड ट्रकों की क्लच प्लेट व ब्रेक खराब होने की संभावना अधिक होती है।
- ओवरलोडिड वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अधिक भार होने की वजह से वह अस्थिर हो जाते हैं और घुमावदार मोड़ पर भी असंतुलित होकर रोलओवर हो सकते हैं।
- ओवरलोडिंग करने पर प्रथम टन के लिये 20,000 रूपये का जुर्माना और अतिरिक्त भार के लिए 2000 रूपये प्रति टन चार्ज होंगे।
- यदि परिवहन वाहन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से अधिक यात्रियों को वाहन में यात्रा करवाता है तो वह 200 रूपये प्रति सीट के जुर्माने द्वारा दण्डित होगा।

यातायात नियमों का पालन करें,
जुर्माने से बचें !

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.
फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

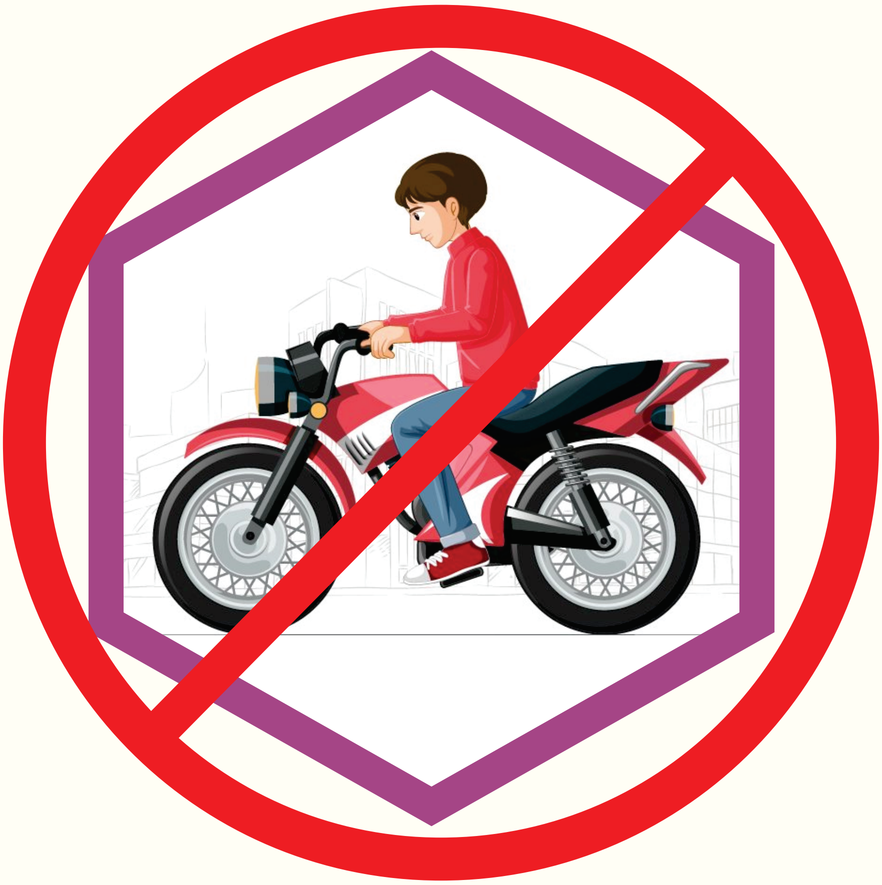

किशोरों द्वारा ड्राईविंग

जानलेवा हो सकती है

क्या आप जानते हैं ?

- ☑ 18 वर्ष की आयु से कम व्यक्ति को किशोर कहा जाता है व उसे सड़क पर गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं होता है।
- ☑ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभिभावक/मालिक को भी दोषी माना जाता है।
- ☑ किशोरों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभिभावक/मालिक को 25000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष तक की जेल व 12 महीने के लिए मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द होगा।
- ☑ जिस किशोर ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है वह लरनिंग लाईसेंस (learning license) प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष की आयु तक अपात्र होगा।
- ☑ वर्ष 2023 में प्रदेश में 33 किशोर चालकों ने अपनी जान गंवाई है व 142 किशोर घायल हुए हैं।

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

रक्षात्मक ड्राईविंग

सुरक्षित वाहन चलायें
सुरक्षित घर जायें !

- हमेशा अपने आस-पास की गतिविधियों की तरफ सचेत रहें।
- रक्षात्मक ड्राईविंग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक को अपने से आगे चलती गाड़ी के पिछले टायर सड़क को छूते दिख सकें।
- रोड चिन्हों का पूरी तरह पालन करें।
- चिन्हित स्पीड लिमिट के अनुसार ही वाहन चलायें।
- सीट हेड रेस्ट को कभी भी न हटाएं उससे आपकी गर्दन में चोट लगने की संम्भावना बढ़ जाती है।
- स्टेयरिंग को 9 और 3 बजे या 10 और 2 बजे की स्थिति में पकड़े।
- ड्राईविंग करते समय फोन का इस्तेमाल न करें व जरूरी कॉल आने पर सड़क किनारे गाड़ी रोककर बात करें।
- यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकावट महसूस कर रहे हों तो गाड़ी न चलाएं।
- शराब पीकर या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके गाड़ी न चलाएं।
- बारिश या बर्फबारी में गाड़ी की स्पीड कम रखें व अचानक ब्रेक न लगाएं, ऐसा करने से गाड़ी फिसल सकती है।
- धुंध के समय लो बीम हेड लाइट का इस्तेमाल करें।

सचेत रहें - सदैव वाहन सावधानी से चलायें।

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.
फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

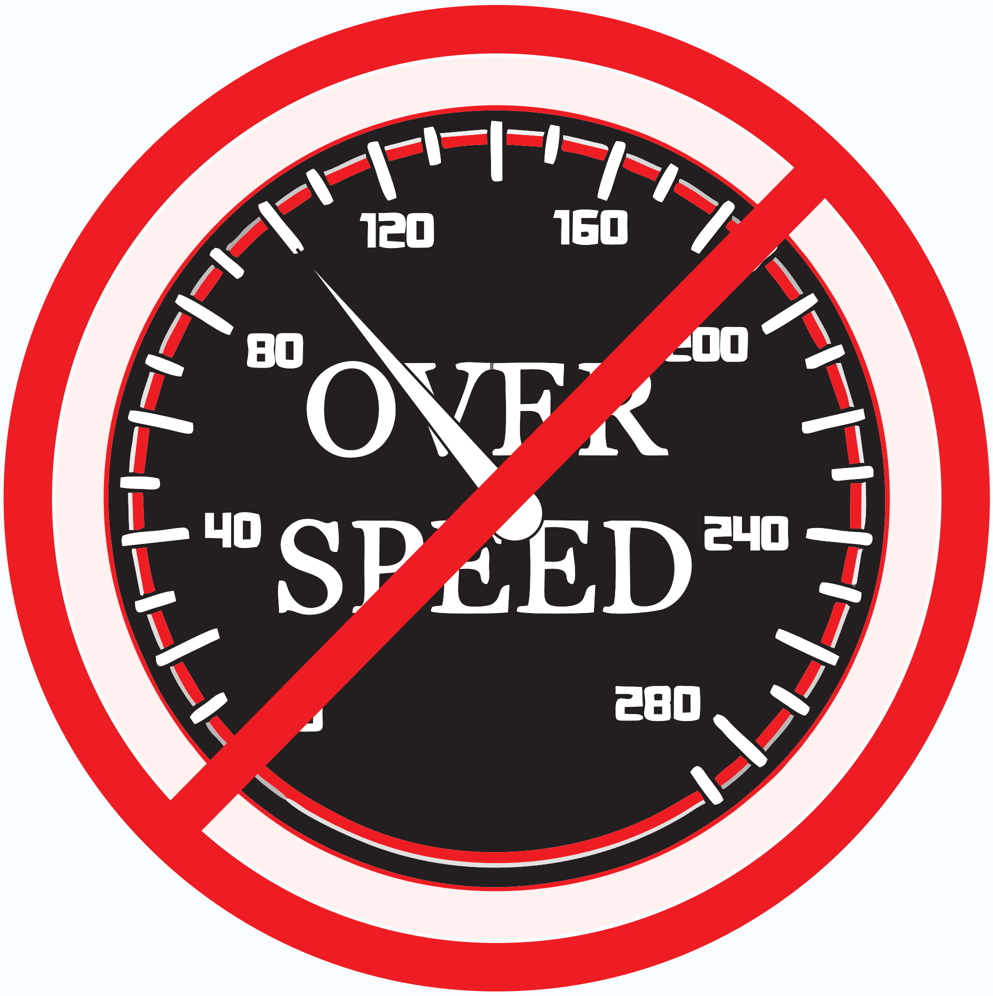

ओवर स्पीडिंग न करें

- वर्ष 2023 में 825 हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं जिसमें 355 लोगों ने जान गवाई है जबकि 1207 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
- प्रदेश में कुल सड़क हादसों में से 36.6 प्रतिशत हादसे ओवरस्पीडिंग की वजह से हुए हैं।
- जब आप अधिक गति में गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त दिमाग, दृष्टि व दूरी का सही आंकलन करने में धोखा हो जाता है।
- यदि आप अधिक गति से वाहन चलाएंगे तो अपने व औरों के जीवन को खतरे में डाल देंगे।
- अधिक गति से चलने वाले वाहनों के पास इतना समय ही नहीं होता कि वह दूसरे सड़क धारक की गलतियों को समझ सकें व समय पर अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकें।
- अत्याधिक गति का जुर्माना लाईट मोटर वाहन के लिए 1000 से 2000 रूपये, मीडियम, हेवी यात्री व मालवाहन वाहन के लिए 2000 से 4000 रूपये है तथा 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है।
- यदि चालक दूसरी बार ओवर स्पीडिंग का जुर्म करता है तो उसका ड्राईविंग लाईसेंस जब्त किया जा सकता है।

आईए ! जिम्मेदार नागरिक बनें - यातायात नियमों का पालन करें।

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950 ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबासइट : roadsafety.hp.gov.in

सड़क सुरक्षा

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

जीवन रक्षा

परिवहन विभाग

हिमाचल प्रदेश

VLTD
Vehicle Location Tracking Device

सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस

VLTD की कार्यप्रणाली

आपातकालीन स्थिति में इसे पांच सैकिंड तक दबाएँ

कंट्रोल रुम में अलार्म बजेगा

पुलिस वाहन को ट्रेक करेगी और तुरन्त सहायता प्रदान करेगी

पैनिक बटन का उपयोग कब करें ?

- अगर वाहन चालक ने जानबूझ कर मार्ग बदला हो।
- अगर वाहन चालक, परिचालक या अन्य यात्री से दुर्व्यहार करता है।
- अगर कोई दुर्घटना होती है।
- किसी भी आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जा सकता है।

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.
फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950
ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबासइट : roadsafety.hp.gov.in

- परिचालक को यात्रियों से संयम व अनुशसित तरीके से शालीनता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ।
- बस में स्वार यात्री को पूरे किराये की टिकट देगा ।वैध किराया देने वाले व्यक्तियों को ले जाने से मना नहीं करेगा। यात्रियों से कभी भी अनुचित किराया वसूल नहीं करेगा।
- बस के अन्दर किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान, नशे अथवा दुर्व्यव्हार की अनुमति न दे।
- आरक्षित श्रेणी के यात्रियों (गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों व बुजुर्गों) को प्राथमिकता देकर उनके लिए आरक्षित की गई सीटों पर बिठाए।
- सड़क के किनारे वाहन रोककर यात्रियों को सामान चढ़ाने व उतारने में सहायता करे। बस में यात्रा के दौरान यदि कोई खराबी होती है तो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अन्य वाहन का प्रबंध करना होगा।
- बस को निर्धारित की गई समय अवधि अर्थात समय सारणी के अनुसार ही चलाए।
- अगर किसी यात्री का सामान बस में रह जाता है तो उसे सम्भालकर रखने तथा यात्री तक पहुंचाने की कोशिश करे।
- बस में प्रथम उपचार चिकित्सा बॉक्स तथा अग्निशमन यन्त्र हो इसकी चालक व परिचालक दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदरी समझें ।
- किसी भी तरह की ऐसी वस्तु, उपकरण बस में न रखवायी जाये जो यात्रियों व बस की सुरक्षा में बाधक हो ।
- बस में सफाई का विशेष ध्यान रखें।

हमारा संकल्प
सड़क सुरक्षा-अमूल्य जीवन रक्षा

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.
फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950
ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in
सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

सड़क सुरक्षा

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

जीवन रक्षा

बस चालकों व परिचालकों के कर्तव्य

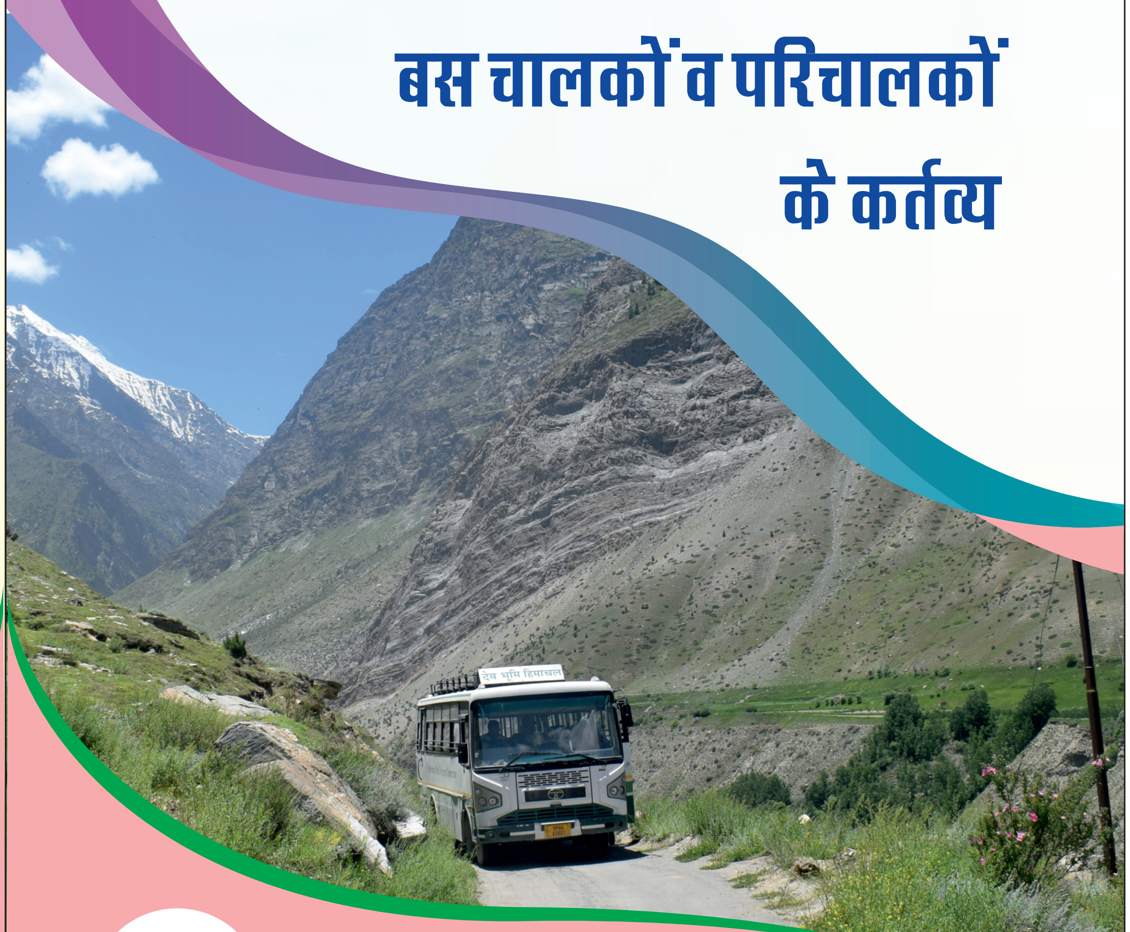

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

यात्री बस के संचालन में उसके चालक और परिचालक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बस में एक यात्री नहीं अपितु पूरा परिवार, समाज बैठा होता है, ऐसा समझना चाहिये। अतः सेवा भाव और ध्यान पूर्वक इन्हें अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिये और यात्री को सुगम व सुरक्षित बनाने हेतू नीचे दर्शाए गए कर्तव्यों की पालना करनी चाहिएः-

बस चालक (Driver) के कर्तव्य

- बस चालक का कर्तव्य है कि वह वाहन को ठीक से खड़ा कर के ही यात्रियों को चढ़ाए व उतारे।
- बस तकीनीकी रूप से बिल्कुल फिट हो, सीटें सही अवस्था में हो व यात्रियों को सफर सुविधाजनक लगे ।
- चालक व परिचालक बस चलाते समय व डयूटी के समय अपनी वर्दी में रहें व नेम प्लेट लगाकर रखें, बस का पासिंग, बीमा आदि वैध होने चाहिये ।
- बस चलाते समय ड्राईवर अपना सारा ध्यान ड्राईविंग पर ही केंद्रित करे, ड्राईविंग के समय एल ई डी, मोबाईल, रेडियो व अन्य किसी भी संगीतमयी उपकरण का प्रयोग न करे।
- बस में निर्धारित सीटों से अधिक यात्री न बिठायें । परमिट व आर सी की शर्तो अनुसार ही बस चलायें।
- बस चालक बस चलाते समय किसी भी प्रकार की मदिरा या अन्य नशे का सेवन न करे।
- बस चालक निर्धारित की गई गति सीमा से तेज वाहन न चलाएं -बारिश, बर्फबारी व ओलावृष्टि के समय अधिक सचेत होकर धीमी गति से बस चलाएं।
- चालक यह सुनिश्चित करें कि सवारियां उठाने हेतु आपस में रेस न लगाएं न ही उदंडतापूर्वक वाहन चलाएं।
- चालक बस चलाते समय धैर्य, संयम व शान्त मन से ड्राईविंग करें।
- बस चलाते समय सड़क पर मौजूद अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के प्रति सम्मान का व्यवहार करें।
- बस चलाते समय चालक में अच्छे पूर्वानुमान के गुण, सड़क पर खतरों को भांपने व समझने की क्षमता होना चाहिये अर्थात किसी भी स्थिति में दुर्घटना से बचाव उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए ।
- स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रिहाईशी इलाकों के पास से निकलते समय अपने वाहन की गति को कम करे व हॉर्न / प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें।
- अग्निशमन, एंम्बुलेंस, पुलिस व अन्य एमरजैंसी वाहनों को जाने के लिए प्राथमिकता दें।
- दुर्घटना की स्थिति में तुरन्त अस्पताल, प्रशासन, पुलिस को सूचित करें-संयम बरतें ।

बस परिचालक (Conductor) के कर्तव्य

- एक कुशल बस परिचालक का कर्तव्य है कि वह यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बस में चढ़ाये व उतारे ।
- परिचालक सुनिश्चित करे बच्चों, बूढों, दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को बस में बिठाते व उतारते समय विशेष ध्यान रखें ।

सड़क हादसे में घायलों की मदद करें और रु 5000/- नकद पुरस्कार पायें

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नेक व्यक्ति (Good Samaritan) के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो कृपया

निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें !

☎ 0177-2803136 | 0177-2808642 | 0177-2808950

✉ Email : transport-hp@nic.co | larsc-tpt@hp.gov.in

या

जानकारी देने के लिए आप स्वयं भी विभाग के कार्यालय में आ सकते है

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950

ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in वेबसाइट : roadsafety.hp.gov.in

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश

सड़क सुरक्षा — जीवन रक्षा

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

गुड सेमेरिटन

घायल व्यक्ति की पुलिस को सुचना देने पर उसका व्यक्तिगत विवरण नहीं लिया जाएगा

गुड सेमेरिटन का नाम या संपर्क विवरण बताना स्वैच्छिक या वैकल्पिक होगा

सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल लाने वाले व्यक्ति को तुरंत बिना प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे दी जाएगी

गुड सेमेरिटन या बाईस्टैंडर किसी सिविल या आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा

स्वैच्छिक उल्लेख करने पर एक ही बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पूछताछ की जाएगी

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

नेक व्यक्ति (Good Samaritan)

कोई भी व्यक्ति जिसने किसी मोटर वाहन से जुड़ी घातक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की तत्काल सहायता की हो तथा दुर्घटना के एक घण्टे (Golden Hour) के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुँचकर उसकी जान बचाई हो उसे नेक व्यक्ति (Good Samaritan) कहते हैं।

योजना की अधिक जानकारी के लिए QR Code Scan करें

स्वर्णिम घंटा (Golden Hour) अति मत्वपूर्ण समय

सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा घायल व्यक्ति की प्राण रक्षा की दृष्टि से बहुत ही मत्वपूर्ण होता है।इसे ही स्वर्णिम घंटा (Golden Hour) कहते हैं।

कभी भी, कहीं भी जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसके बाद इस एक घंटे में घायल व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके प्राथमिक चिकित्सा (First aid) या अस्पताल ले जाना अति आवश्यक होता है।

ध्यान रहे, सड़क हादसों मे हम, आप या हमारा कोई अपना भी हो सकता है।

अतः इस Golden Hour के महत्व को समझें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

Year	Accident	Fatal	Injury
2016	3168	1271	5764
2017	3114	1203	5452
2018	3110	1208	5551
2019	2873	1147	4903
2020	2239	893	3223
2021	2597	1,052	3454
2022	2598	1032	4063
2023	2253	889	3304
TOTAL	21952	8695	35714

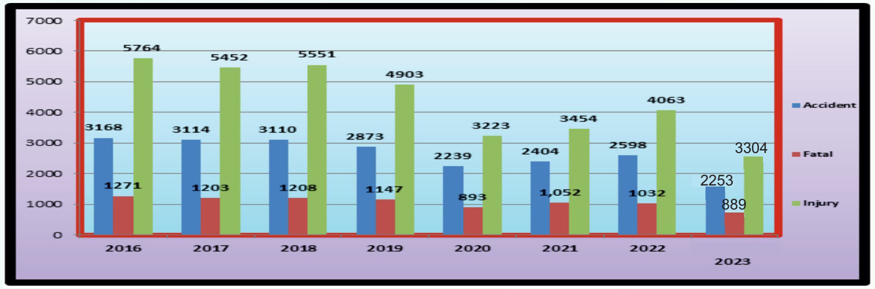

परिवहन विभाग, लीड एजेंसी/रोड़ सेफ्टी सैल, हि.प्र.

फोन : 0177-2803136 I 0177-2808950

ईमेल : larsc-tpt@hp.gov.in **वेबासइट :** roadsafety.hp.gov.in

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

सावधानी से वाहन चलाएँ

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

प्रदेश का सड़क दुर्घटना डाटा

- वर्ष 2023 में 2253 सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 889 लोगों की मृत्यु हुई व 3304 लोग घायल हुए ।

- तेज गति से वाहन चलाने के कारण 825 सड़क हादसे हुए जिसमें 355 लोगों की मृत्यु हुई व 368 लोग गंभीर रूप में घायल हुए हैं। व 839 लोगों को हल्की चोटें आईं ।

- शराब पीकर या किसी अन्य नशे का सेवन करने की वजह से 20 लोगों की मृत्यु हुई व 44 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। व 68 लोगों को हल्की चोटें आईं ।

- दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग न करने की वजह से 139 लोगों की मृत्यु हुई व 85 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जबकि 111 लोगों को मामूली चोटें आईं ।

- सीट बेल्ट का प्रयोग न करने की वजह से 47 लोगों की मृत्यु हुई है व 42 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा 50 लोगों को हल्की चोटें आईं ।

- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों/ किशोरों द्वारा वाहन चलाने की वजह से 33 किशोरों की मृत्यु हुई है व 142 किशोर घायल हुए हैं।

- गंभीर एवम आंशिक रूप से घायल होने वाले सर्वाधिक व्यक्तियों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होती है।

- सर्वाधिक सड़क हादसे दोपहर 6 बजे से रात्री 9 बजे तक होते हैं। इन 3 घंटों में प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का अनुपात 20.8 प्रतिशत है ।

- वर्ष 2023 में प्रदेश में हुए सड़क हादसों में से 47.7 प्रतिशत सड़क दुघटनाएँ राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए हैं जबकि इनकी लम्बाई केवल 6.9 प्रतिशत है।

- संस्थान क्षेत्रों के आस पास 102 सड़क हादसे हुए हैं जिसमें 46 लोगों की मृत्यु हुई व 488 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
  122 पैदल राहगीरों की मृत्यु हुई है जिसमें सर्वाधिक दुर्घटनाएं कार, टैक्सी, वैन व दोपहिया वाहनों के साथ एक्सीडेंट से हुई हैं।

- सर्वाधिक सड़क हादसों में दुर्घटनाग्रस्त वाहन छोटी गाड़ियां कार, टैक्सी व एल एम वी है। दूसरे स्थान पर दोपहिया वाहन व तीसरे स्थान पर ट्रक व लॉरी है।

- ओवरलोडिंग या हैंगिंग के कारण कुल 30 हादसे हुए हैं जिसमें 34 लोगों की मृत्यु हुई जबकि 86 लोग घायल हुए हैं।

- ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले वाहनों की आयु 5 वर्ष से कम देखी गई हैं । अभिप्राय है कि अधिकतर सड़क हादसे वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुए हैं न कि वाहन में तकनीकी खराबी के कारण ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 12-01-2024 का सार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. राजसीकरन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 12.01.2024 के आदेश के माध्यम से योजना के सीमित लाभ के बारे में चिंता व्यक्त की है और योजना के लिए स्थायी समिति को निर्देश दिया है जन जागरुकता विकसित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करें। जारी किये गये निर्देशों का सारांश इस प्रकार है:

- योजना के बारे में जन जागरुकता विकसित करने और जनता के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करें।

- यदि दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर वाहन की पहचान नहीं की जाती है, तो पुलिस घायल या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, को लिखित रुप में सूचित करेगी कि मुआवजे का दावा किया जा सकता है। योजना के तहत और दावा जांच अधिकारी का संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, कार्यालय पता) भी प्रदान करें।

- पुलिस दुर्घटना की तारीख से एक महीने के भीतर दावा जांच अधिकारी को (S.D.M) पहली दुर्घटना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी, जिसमें चोट लगने की स्थिति में पीड़ितों या पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधियों (यदि पुलिस स्टेशन के पास उपलब्ध हो) के नाम शामिल होंगे। (FAR) (First Accident Report) की प्राप्ति के बाद, यदि दावा आवेदन एक महीने के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो दावा जांच दावेदारों से संपर्क करने और दावा आवेदन भरने में उनकी सहायता करने के अनुरोध के साथ संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को विवरण भेज देगी।

- जिला स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन जिसमें शामिल हैं:
    - सचिव जिला स्तरीय सेवा प्राधिकरण (संयोजक)।
    - जिले का दावा जांच अधिकारी (या, यदि एक से अधिक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा नामित दावा जांच अधिकारी (S.D.M)।
    - जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं।

- जिले में योजना के कार्यान्वयन और उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए समिति हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिव राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को मॉनिटर समितियों के कामकाज पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस न्यायालय की रजिस्ट्री को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

- ऊपर उल्लिखित निर्देशों के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

Scan the QR code for Notification
Scheme for Compensation to the Victim
Hit & Run 20

For more information and Forms, log on to:
https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/

सड़क सुरक्षा

हिमाचल प्रदेश सरकार

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

जीवन रक्षा

टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022

टक्कर मार कर भागना मोटरयान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआबजा

हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा	
₹ 2 लाख मृत्यु के मामले में	₹ 50,000 गंभीर चोट के मामले में

https://online.himachaltransport.hp.gov.in

क्लेम हेतु सरल समयबद्ध प्रक्रिया

आवेदक

पीड़ित (गंभीर चोट के मामले में) या कानूनी प्रतिनिधि
यदि (पीड़ित की मृत्यु के मामले में)

1

जमा करना आवेदन

दावा जांच अधिकारी

उपमंडल दण्ड अधिकारी (S.D.M)
जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो

2

जाँच करना प्रतिवेदन के 1 महीना अंदर *

दावा निपटान आयुक्त

जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, कलेक्टर (D.C)

3

मंजूरी आदेश 15 दिन के अंदर

सामान्य बीमा परिषद

मोटर वाहन दुर्घटना निधि ट्रस्ट की ओर से

4

आवेदक को मुआवजे का हस्तांतरण 18 दिन के अंदर

दावा निपटान प्रक्रिया के अनुसार हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022

दावा निपटान प्रक्रिया

जांच अधिकारी — घायल पीड़ित या घटे मृतक का कानूनी प्रतिनिधि

पहली दुर्घटना रिपोर्ट - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

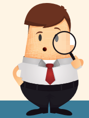

1. फॉर्म I (आवेदन) आईडी प्रूफ के साथ।
2. दावेदार के बैंक खाते की पासबुक की प्रति लिपि।
3. पीड़ित का इलाज करने वाले अस्पताल के कैशलेस/उपचार बिल, यदि कोई हो, की प्रति लिपि।
4. फॉर्म V (अंडरटेकिंग)।

दावा जांच अधिकारी — उपमंडल दण्ड अधिकारी (S.D.M) जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो सम्बंधित

1 महीना *

फॉर्म II (रिपोर्ट)।

दावा निपटान अधिकारी — जिला मजिस्ट्रेट/उप. राजस्व जिले के आयुक्त/कलेक्टर/कार्यालय प्रभारी

15 दिन

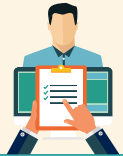

1. फॉर्म III (आदेश) प्रति लिपि।
2. फॉर्म I और II संलग्नकों के साथ और IV के लिए।
3. बैंक विवरण।

प्रतिलिपिः दावेदार, दावा जांच अधिकारी, संबंधित एमएसीटी, संबंधित परिवहन आयुक्त।

सामान्य बीमा परिषद — Transfer of compensation (मुआवज़े का हस्तांतरण)

यदि किसी रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए मुआवजा भुगतान कमिश्नर द्वारा लौटा दिया गया है तो 15 दिन में। (Claim Settlement Officer)

दावा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, रिपोर्ट दावा जांच अधिकारी S.D.M -Cum Claim anchor officer) को वापस की जा सकती है, जिसमें जांच के विशिष्ट बिंदुओं को दर्शाया जा सकता है।

^ दावा निपटान आयुक्त को लिखित रुप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, 30 दिनों की अगली अवधि के भीतर भुगतान किया जा सकता है।

टक्कर मार कर भाग जाना स्थिति में मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना - 2022

COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME- 2022

HPDT

TO THE VICTIMS OF HIT-AND-RUN MOTOR ACCIDENTS

Victims of Hit & Run will be given Compensation of

₹ 2 LAKHS IN CASE OF DEATH	₹ 50,000 IN CASE OF GRIEVOUS HURT

आवेदक द्वारा मामला जाँच अधिकारी को जाँच हेतु दिया / प्रस्तुत किया जाएगा

आवेदक द्वारा मामला दावा जाँच अधिकारी (SDM) के समक्ष भेजा जायेगा

एक माह तक मोटर वाहन की पहचान न होने की रिपोर्ट दावा जाँच अधिकारी (SDM) को सौंपेगा

जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर निपटान आयुक्त (DC) द्वारा मुआवजा आदेश बीमा कम्पनी को दिया जायेगा

बीमा कंपनी द्वारा घायल व्यक्ति को दावे की रकम दी जाएगी

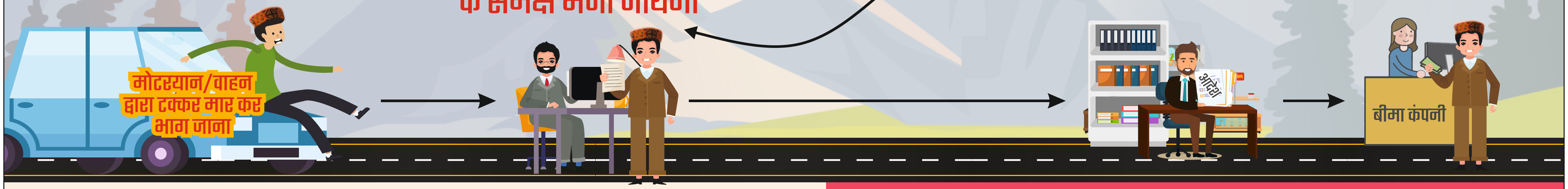

क्लेम हेतु सरल समयबद्ध प्रक्रिया

1 आवेदक
पीड़ित (गंभीर चोट के मामले में) या कानूनी प्रतिनिधि यदि (पीड़ित की मृत्यु के मामले में)
आवेदन करना

2 दावा जांच अधिकारी
उपमंडल दण्ड अधिकारी (S.D.M) जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो
जाँच करना प्रतिवेदन के 1 महीना अंदर *

3 दावा निपटान आयुक्त
जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, कलेक्टर (D.C)
मंजूरी आदेश 15 दिन के अंदर

4 सामान्य बीमा परिषद
मोटर वाहन दुर्घटना निधि ट्रस्ट की ओर से
Insurance Company
आवेदक को मुआवजे का हस्तांतरण 18 दिन के अंदर

दावा निपटान प्रक्रिया

जांच अधिकारी — गम्भीर रुप से घायल या मृतक का कानूनी प्रतिनिधि

पहली दुर्घटना रिपोर्ट - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

1. फॉर्म I (आवेदन) आईडी प्रूफ के साथ।
2. दावेदार के बैंक खाते की पासबुक की प्रति लिपि।
3. पीड़ित का इलाज करने वाले अस्पताल के कैशलेस/उपचार बिल, यदि कोई हो, की प्रति लिपि।
4. फॉर्म V (अंडरटेकिंग)।

दावा जांच अधिकारी — उपमंडल दण्ड अधिकारी (S.D.M) जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई हो से सम्बंधित

1 महीना * — फॉर्म II (रिपोर्ट)।

दावा निपटान अधिकारी — जिला मजिस्ट्रेट/उप. राजस्व जिले के आयुक्त/कलेक्टर/कार्यालय प्रभारी

15 दिन

1. फॉर्म III (आदेश) प्रति लिपि।
2. फॉर्म I और II संलग्नकों के साथ और IV के लिए।
3. बैंक विवरण।

प्रतिलिपिः दावेदार, दावा जांच अधिकारी, संबंधित एमएसीटी, संबंधित परिवहन आयुक्त।

सामान्य बीमा परिषद — Transfer of compensation (मुआवज़े का हस्तांतरण)

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. राजसीकरन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिनांक 12.01.2024 को योजना के लिए स्थायी निति बनाने का निर्देश दिया गया जिस में इस योजना के बारे में जन जागरुकता विकसित करने हेतू विस्तृत निर्देश जारी करने का आदेश दिया। जारी किए गए निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है
- यदि दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर वाहन की पहचान नहीं हो पाती है, तो पुलिस घायल या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, को लिखित रुप में सूचित करेगी कि मुआवजे का दावा किया जा सकता है। योजना के तहत दावा जांच अधिकारी का संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, कार्यालय पता) भी प्रदान करें।
- पुलिस दुर्घटना की तारीख से एक महीने के भीतर दावा जांच अधिकारी को (S.D.M) पहली दुर्घटना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी, जिसमें चोट लगने की स्थिति में पीड़ित या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों (यदि पुलिस स्टेशन के पास उपलब्ध हो) के नाम शामिल होंगे। (FAR) (First Accident Report) की प्राप्ति के बाद, यदि दावा आवेदन एक महीने के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो दावा जांच दावेदारों से संपर्क करने और दावा आवेदन भरने में उनकी सहायता करने के अनुरोध के साथ संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को विवरण भेज देगी।
- जिला स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न्लिखित सदस्य शामिल होंगेः-
  - सचिव जिला स्तरीय सेवा प्राधिकरण (संयोजक)।
  - जिले का दावा जांच अधिकारी (या, यदि एक से अधिक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा नामित दावा जांच अधिकारी (S.D.M)।
  - जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं।
- जिले में योजना के कार्यान्वयन और उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए समिति हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिव राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को मॉनिटर समितियों के कामकाज पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस न्यायालय की रजिस्ट्री को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

ऊपर उल्लिखित निर्देशों के लिए अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

Scan the QR code for Notification on Scheme for Compensation to the Victim of Hit & Run 2022

For more information and Forms, log on to: https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/